HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

THE 29th April, 2026

No. HVS-LA-122/2026/ 66 In exercise of the powers conferred by Article 208 (1) to the Constitution of India, the Haryana Legislative Assembly has adopted an official resolution unanimously in its sitting held on 27th April, 2026 to insert the following provisions, after Rule 279-F, in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. The notification is issued under the orders of the Hon'ble Speaker, Haryana Legislative Assembly.

(XX) Subject Committee on Empowerment of Women.

279-G. (1) There shall be a Committee on Empowerment of Women consisting of not more than nine Members to be nominated by the Speaker from amongst the Members of the Legislative Assembly. Out of the Nine Members to be nominated, five shall be from amongst Women Members of the Legislative Assembly, out of them one Women Member shall be the Chairperson of the Committee. (2) The term of office of the members of the Committee shall be one year.	Constitution of the Subject Committee
279-H. The functions of the Committee shall be— (1) To examine: — (a) the reports submitted by the Haryana State Commission for Women; (b) the measures taken by the State Government to secure for women equality, status and dignity in all matters; and (c) the measures taken by the State Government for comprehensive education and adequate representation of women in Local bodies/services and other fields. (2) To report:- (a) on the measures that should be taken by the State Government for improving the status/conditions of women in respect of matters within the purview of the State Government; (b) on the working of the welfare programmes for the women; and (c) on the action taken by the State Government on the measures proposed by the Committee. (3) The Committee shall also take such other matters as may deem fit to the Committee or are specifically referred to it by the House or the Speaker. (4) The Subject Committee shall not examine or investigate matters of day-to-day administration.	Functions of the Committee.

By order of the Speaker.

RAJIV PRASHAD
SECRETARY

हरियाणा विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

29 अप्रैल, 2026

सं. एच. वि. एस-एल.ए.-122/2025- 66 भारत के संविधान के अनुच्छेद 208(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का पर्योग करते हुए, हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में नियम 279-च के पश्चात, निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने के लिए दिनांक 27 अप्रैल, 2026 को हुई हरियाणा विधानसभा की बठैक में सर्वसम्मति से एक सरकारी संकल्प अपनाया गया। माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा के आदेशों के अंतर्गत यह अधिसूचना जारी की जाती है।

(XX) महिला सशक्तिकरण पर विषय समिति।

279-छ. (1) महिला सशक्तिकरण पर एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा विधान सभा के सदस्यों में से नामजद नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे। नामजद किए जाने वाले नौ सदस्यों में से विधान सभा की पांच महिला सदस्य होंगी, जिसमें से एक महिला सदस्य समिति की चेयरपर्सन होगी। (2) समिति के सदस्यों की कार्यावधि एक वर्ष होगी।	विषय समिति का गठन
279-ज. समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:- (1) जांच करना– (क) हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की; (ख) सभी मामलों में महिलाओं की समानता, प्रतिष्ठा एवं सम्मान सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की; तथा (ग) व्यापक शिक्षा तथा स्थानीय निकायों/सेवाओं एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की। (2) प्रतिवेदन प्रस्तुत करना– (क) राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति/परिस्थितियों से संबंधित सुधार हेतु विषयों में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर; (ख) महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली पर; तथा (ग) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर। (3) ऐसे अन्य मामलों का, जिन्हें समिति द्वारा उचित समझा जाए या जिन्हें सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किया जाए। (4) विषय समिति दिन- प्रतिदिन के प्रशासन संबंधी मामलों की जांच अथवा अन्वेषण नहीं करेगी।	समिति के कृत्य

By order of the Speaker.

RAJIV PRASHAD
SECRETARY